

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर


क्रमांक: ए.4()लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/

दिनांक :-

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

विषय :- मा0 राज0 उच्च न्यायालय में बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के संशोधित वेतन स्थिरीकरण पर देय ऐरियर राशि के भुगतान बाबत सूचीबद्ध अवमानना प्रकरणों की समयबद्ध अनुपालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि मा0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ में बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के संशोधित वेतन स्थिरीकरण पर देय ऐरियर राशि के भुगतान बाबत अवमानना प्रकरणों में भुगतान हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। इन प्रकरणों में आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी कर आपको प्रेषित की जा चुकी है। अतः आपके कार्यालय से संबंधित ऐसे समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही यथा वेतन स्थिरीकरण, देय बकाया राशि की गणना आदि कार्य किये जाकर संबंधित बजट मदों में उपलब्ध बजट से दिनांक 30.04.2017 तक वास्तविक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी बजट मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है तो अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग उक्त निर्धारित दिनांक से पूर्व की जाकर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।



(जे.एल.जांगिड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर.

क्रमांक :- ए-4 () लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18 35

दिनांक : 19/4/17

प्रतिलिपि:- 1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की अनुपालना निर्धारित दिनांक तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।

~~प्रभारी सर्वर~~, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।


(जे.एल.जांगिड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर